एम-11013/22/2015-एफडी
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
(राजकोषीय अंतरण प्रभाग)।

11वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
के. जी मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 17 जुलाई, 2018

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय : चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने हेतु गठित समन्वय समिति की दिनांक 26 जून, 2018 को आयोजित छठी बैठक का कार्यवृत्त ।**

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त उल्लेखित विषय पर दिनांक 26 जून, 2018 को आयोजित समन्वय समिति की बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न करने का निदेश दिया गया है।

(आर शिवकुमार )
अवर सचिव , भारत सरकार
टेलीफ़ैक्स: 011-23753812

**संलग्नक: क/क**

**सेवा में,**

1. बैठक में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी।
2. सभी 26 राज्यों के सचिव/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग।

**निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रति:**

1. एसपीआर के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस)
2. एएस (बीपी) के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस)
3. संयुक्त सचिव (एसकेपी) के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस)
4. निदेशक (एफडी) के निजी सचिव

**चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने हेतु दिनांक 26 जून, 2018 को आयोजित समन्वय समिति, एमओपीआर की 6वीं बैठक का कार्यवृत्त ।**

चौदहवें वित्त आयोग (एफ.एफ.सी.) की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 को वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिशानिर्देशों के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय (एम ओ पी आर) द्वारा गठित समन्वय समिति की 6वीं बैठक सचिव, पंचायती राज मंत्रालय (एस पी आर) की अध्यक्षता में दिनांक 26 जून, 2018 को उन्नति हॉल, कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक -I** में दी गई है।

2. एसपीआर की प्रारंभिक टिप्पणियों के बाद, प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए संयुक्त सचिव (एस के पी) ने ग्राम पंचायतों (जी पी) को चौदहवें वित्त आयोग (एफ एफ सी) के अनुदानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए एक पावर प्वाइंट की प्रस्तुती दी।

3. तत्पश्चात्, कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई और इस संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

1. **चौदहवें वित्त आयोग समन्वय समिति की 5वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

समिति ने दिनांक 27 दिसंबर, 2017 को आयोजित 5वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

2. **दिनांक 27-12-2017 को आयोजित समिति की 5वीं बैठक की अनुशंसाओं पर ऐक्शन टेकन रिपोर्ट:**

समिति ने 5वीं बैठक की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई यान ऐक्शन टेकन रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया।

3. **बुनियादी अनुदान की अगली किस्त जारी करने हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) के लिए की गई अनुशंसा की स्थिति की समीक्षा:**

समिति ने बुनियादी अनुदान की अगली किस्त जारी करने हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के लिए की गई अनुशंसा की स्थिति पर विचार-विमर्श किया।

4. **राज्यों को चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों की किस्ते जारी करने की स्थिति की समीक्षा:**

कार्यसूची मदों में समिति ने राज्यों को चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों की यथा सूचित किस्ते जारी करने की स्थिति परर विचार-विमर्श किया।

**5. उत्तर प्रदेश राज्य को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए निष्पादन अनुदान जारी करने के लिए अनुशंसा:**

इस मुद्दे पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज (पी आर) विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति को सूचित किया कि ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के राजस्व स्रोत (ओ एस आर) के संग्रह को ग्राम

पंचायतों के लेखा बहियों में सही ढंग से परिलक्षित नहीं किया जा रहा था क्योंकि ग्राम पंचायतों के कई ऐसे राजस्व स्रोत हैं जिन्हें राज्य के राजस्व विभाग द्वारा संगृहीत/विनियोजित किया जाता है। इसका कारण राज्य में जागरुकता की कमी और कार्यविधिक औपचारिकताएं हो सकती हैं। यदि ग्राम पंचायतों द्वारा संगृहीत किए जाने वाले ऐसे राजस्वों पर विचार करके उन्हें ग्राम पंचायतों की लेखा बहियों में परिलक्षित किया जाए, तो पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त, समिति को यह सूचित किया गया कि वर्ष 2015-16 तक ग्राम पंचायतों के लेखाओं की लेखापरीक्षा कई ग्राम पंचायतों के संबंध में पूरी हो चुकी है और आंकड़ों को मूल्यांकन सारांश में सही किया जाना है। राज्य के प्रतिनिधियों ने समिति को बताया कि उपरोक्त के संबंध में राज्य में एक प्रक्रिया शुरु की गई है कि ग्राम पंचायतों द्वारा किए जा रहे ओएसआर संग्रह का पुनरावलोकन किया जाए तथा उसे ग्राम पंचायतों की लेखा बहियों में दर्शाया जाए। उन्होंने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए निष्पादन अनुदान के दावे के लिए संशोधित मूल्यांकन सारांश प्रस्तुत करने हेतु 30 सितंबर 2018 तक तीन महीने का समय देने का अनुरोध किया। संशोधन प्रक्रिया से वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतें निष्पादन अनुदान के लिए पात्र हो जाएंगी और उत्तरोत्तर वर्षों में उनकी संख्या बढ़कर लगभग 5000 ग्राम पंचायत हो सकती है।

राज्य प्रतिनिधियों द्वारा किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने इसके लिए 30 सितंबर 2018 तक और तीन महीने का समय बढ़ाने पर सहमति जताई, बशर्ते इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औपचारिक अनुरोध किया जाए।

**(कार्रवाई : उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग/ पंचायती राज मंत्रालय/ वित्त मंत्रालय)**

**6. मुख्यमंत्रियों की योजनाओं में चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग के लिए बिहार राज्य द्वारा जारी दिशानिर्देश**

समिति ने कार्यसूची मदों में यथा सूचित मुद्दे पर विचार किया।

**7. चौदहवें वित्त आयोग की निधियों के लिए पीएफएमएस का कार्यान्वयन**

चौदहवें वित्त आयोग की निधियों के लिए पीएफएमएस के कार्यान्वयन की स्थिति और पीएफएमएस के साथ प्रियासॉफ्ट के एकीकरण पर विचार-विमर्श किया गया। एसपीआर ने अनुदानों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों के लिए राज्यों द्वारा पीएफएमएस के शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अनुदेश दिया कि क्रियान्वयन के निम्नलिखित चार पहलुओं को 30 सितंबर, 2018 तक पूरा कर लिया जाए।

- 2017-18 तक लेखा संवरण (book closure) को प्रियासॉफ्ट में 100% पूरा किया जाना है।
- पीएफएमएस के साथ प्रियाएसॉफ्ट का एकीकरण किया जाए ताकि चौदहवें वित्त आयोग के वेंडर/सेवा प्रदाताओं को भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जा सके। जो राज्य लेखांकन के लिए अपने स्वयं के

सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें प्रियासॉफ्ट पर डेटा हस्तांतरित करने के लिए वेब-सेवाओं या अन्य उपयुक्त तकनीकी साधनों के माध्यम से अपने सॉफ़्टवेयर को लिंक करना चाहिए।

- एक इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (ई-एफएमएस) का कार्यान्वयन किया जाए ताकि ग्राम पंचायतें इन निधियों का उपयोग यथाआवश्यकता "पुल' मोड के आधार पर कर सकें (यानी जब भी उन्हें जरूरत हो वे निधियों का उपयोग अविलंब रूप से कर सकें), बजाय कि निधियों को मात्र जमा रखा जाए। इससे बचा जाए।
- चौदहवें वित्त आयोग की निधियों से निर्मित सभी परिसंपत्तियों/सुविधाओं की जियो-टैगिंग की जाए और उन्हें एम-एक्शन सॉफ़्टेयर (m-actionSof) के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए ताकि विभिन्न कार्यक्रमों में परिसंपत्तियों को सही रूप में दर्शाया जा सके।

राज्यों को पंचायत पदाधिकारियों (सरपंच और पंचायत सचिव) को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) प्रदान करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

**(कार्रवाई: एमओपीआर/राज्य/एनआईसी-एमओपीआर/पीएफएमएस)**

**8. पंद्रहवें वित्त आयोग को ज्ञापन**

समिति ने कार्यसूची मदों में उल्लेख किए मुद्दे पर विचार किया।

**9. अध्यक्ष की अनुमति के साथ कोई अन्य मुद्दा जिसे सदस्यों उठाना चाहें।**

- निष्पादन अनुदान की अवितरित राशि के पात्र ग्राम पंचायतों के बीच पुनर्वितरण के मुद्दे पर चर्चा की गई। राज्य के प्रतिनिधियों सहित समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर, समिति ने यह अनुशंसा की कि ग्राम पंचायतों के लिए बुनियादी अनुदान के अवितरित हिस्से के पुनर्वितरण को दावा वर्ष के लिए आवंटन का 5 गुना तक सीमित किया जाए। यह अनुशंसा ग्राम पंचायतों के पास निधियों की पार्किंग से बचने के लिए की गई थी, जहाँ दावा वर्ष के लिए निष्पादन अनुदान का आवंटन प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायतों के केवल एक छोटे प्रतिशत के कारण अतिरिक्त राशि पुनर्वितरण हेतु उपलब्ध होती है। पुनर्वितरण के बाद कुल निष्पादन अनुदान के आवंटन की शेष राशि राज्य को वितरित नहीं की जाएगी। इस संबंध में पंचायती राज्य मंत्रालय की निष्पादन अनुदान योजना में और चौदहवें वित्त आयोग पर वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं।

**(कार्रवाई : एमओपीआर/ वित्त मंत्रालय)**

- एसपीआर ने सुझाव दिया कि मनरेगा, पीएमएवाई, एफएफसी आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के प्रशासनिक और तकनीकी घटकों के रूप में अलग से निमित्त की गई (earmarked) राशि को र ग्राम पंचायतों की मानव संसाधन (एचआर) प्रणाली को मजबूत करने के लिए संयोजित (pooled) किया जा सकता है, जैसा कि सुमित बोस समिति की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वर्तमान कर्मचारी जो पहले से ही आरडी मंत्रालय की योजनाओं में सहायक/कंप्यूटर ऑपरेटर/रोजगार सहायक के रूप में तैनात हैं, उनका

उपयोग एफएफसी अनुदान के उपयोग से संबंधित डेटा प्रविष्टि और एम एक्शनसॉफ्ट में संपत्तियों की फोटो-जियो टैगिंग के लिए किया जा सकता है।

- एसपीआर ने समिति को यह भी बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के सॉफ्टवेयर को एमओपीआर के पंचायत एंटरप्राइजेज सुइट (पी ई एस) के साथ जोड़ने की प्रक्रिया जारी रही है ताकि प्लान प्लस पंचायतों द्वारा शुरु की गई सभी योजनाओं पर समेकित सूचना को एक पूर्व-डेटा के रूप में उपलब्ध करा सके। एकीकरण की प्रक्रिया अगस्त, 2018 तक पूरी की जानी है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यों द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि ग्राम पंचायतें प्लान प्लस आदि का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में तथा जीपीडीपी को प्रभावकारी रूप से तैयारी  करने एवं उसकी रिपोर्टिंग के लिए समर्थ हो सकें।
- गुजरात राज्य में ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बीएसएनएल द्वारा लिए जा रहे उच्च शुल्कों के मुद्दे के संबंध में, यह कहा गया कि राज्य से विवरण प्राप्त होने के पश्चात पंचायती राज मंत्रालय दूरसंचार विभाग/मेती के पास इस मुद्दे को उठाएगा।

अध्यक्ष और प्रतिभागियों को धन्यवाद देने के साथ बैठक संपन्न हुई।

******

**अनुलग्नक –I**

**दिनांक 26.06.2018 को उन्नति हॉल, कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित समन्वय समिति की छठी बैठक**

**प्रतिभागियों की सूची**

| क्र. सं. | नाम और पदनाम | कार्यालय/मंत्रालय |
|---|---|---|
| 1. | श्री अमरजीत सिन्हा, सचिव | पंचायती राज मंत्रालय |
| 2. | श्री जयदीप गोविंद, विशेष सचिव एवं एफए | पंचायती राज मंत्रालय |
| 3. | श्री संजीब कुमार पाटजोशी, संयुक्त सचिव | पंचायती राज मंत्रालय |
| 4. | श्रीमती अल्का उपाध्याय, संयुक्त सचिव | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| 5. | श्री आर. शिवकुमार, अवर सचिव | पंचायती राज मंत्रालय |
| 6. | श्री हरकेश चंदर, अवर सचिव | पंचायती राज मंत्रालय |
| 7 . | श्री आशु माथुर, सलाहकार | व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय |
| 8 . | श्री सुभाष मीना, संयुक्त निदेशक | व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय |
| 9 . | श्री शशि भूषण, लेखा नियंत्रक | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| 10. | श्री ए. मुरलीधरन, उप सलाहकार | पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय |
| 11. | श्री जी. एस. ढिल्लन, निदेशक | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय |
| 12. | श्री राकेश संधू, उप निदेशक | पंचायती राज विभाग, हरियाणा |
| 13. | श्री बीरेंद्र भूषण, निदेशक | पंचायती राज विभाग, झारखंड |
| 14. | श्रीमती रिचा चौधरी, राज्य परामर्शदाता (एलएसजी) | पंचायती राज विभाग, झारखंड |
| 15 . | श्री शमीम उद्दीन, निदेशक | पंचायती राज विभाग, मध्य प्रदेश |
| 16. | श्री मनोज अग्रवाल, मुख्य सचिव | पंचायती राज विभाग, गुजरात |
| 17 . | श्री एम. सुधाकर राव, अपर आयुक्त | पंचायती राज विभाग, आंध्रप्रदेश |
| 18 . | श्री आकाश दीप, निदेशक | पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश |
| 19 . | श्री गिरीश चंद्र, उप निदेशक | पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश |
| 20. | श्री आर. एस. चौधरी, उप निदेशक | पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश |
| 21. | डॉ. वाई. भास्कर राव, प्रोफेसर | एनआईआरडी एवं पीआर, हैदराबाद |
| 22 . | श्री जी. एस. कृष्णन, सलाहकार | पंचायती राज मंत्रालय |

*****